

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2013—आषाढ़ 11, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. क्रमांक एफ-22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-41-2011-आठ, दिनांक 21 जनवरी 2013 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, कॉलम (2) तथा (3) में, धारा 177 से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
177	(क) बिना हेलमेट के वाहन चलाना	रुपए 100/-
	(ख) मोटरयान तथा यातायात से संबंधित किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों का उल्लंघन.	रुपए 500/-

F-22-41-11-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendment in this department notification F-22-41-11-VIII, dated 21st January 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 21st January 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in column (2) and (3), for existing entries relating to Section 177, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
177	(a) Riding without Helmet	Rs. 100
	(b) Any other violation of provision of any law pertaining to motor vehicle and traffic	Rs. 500

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, अपर सचिव.